न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/169

मिसलनम्बर– 51/2024

1.देवलाल पुत्र स्व. श्री गणेशलाल आयु 80 साल निवासी म.नं. 21/297 मंशापूर्ण गणेश जी मंदिर के पास बृजराजपुरा पाटनपोल कोटा हाल केशवपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.कंचन पत्नी स्व. प्रमोद सिंह आयु 45 वर्ष
2.आयुष पुत्र स्व. प्रमोद सिंह आयु 22 वर्ष निवासीगण म.नं. 21/297 मंशापूर्ण गणेश जी मंदिर के पास बृजराजपुरा पाटनपोल कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 2.11.25

उपस्थिति:–

1.श्री वीरेन्द्र सिह सोनी प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री महावीर प्रसाद बैरवा अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की अवस्था 80 वर्ष के लगभग है, तथा प्रार्थी अपने जन्म से ही अपने पिता स्व0 श्री गणेशलाल पुत्र मांगीलाल निवासी बृजराजपुरा कोटा के साथ निवास करता था प्रार्थी के पिता गणेशलाल जी के कब्जे व स्वामित्व वाला मकान तीन मंजिला निर्मित वाकै मंशापूर्ण गणेश मंदिर के पास पाटनपोल कोटा पर स्थित है, गणेशलाल उक्त अचल सम्पति के मालिक काबिज थे, गणेशलाल जी ने अपने जीवनकाल मे पारिवारिक बंटवारा अपने तीनो पुत्र कमशः घनश्याम, गोपाललाल देवलाल (प्रार्थी) के बीज कर दिया गया तथा पृथक से गवाहान की मौजूदगी मे वसीयतनामा उक्त अचल सम्पति के मकान के बाबत आलेखित किया ,वसीयतनामा दिनांक 18.8.1985 के अनुसार प्रार्थी उक्त मकान मे हिस्सा ग्राउण्ड फलोर पर एक कमरा ,एक दुकान उपर जाने की सीढी तथा प्रथम तल पर दुकान के उपर का एक कमरा, कमरे के बाहर रोंस जो कि मुख्य सड़क की ओर झांकती है, तथा सीढी के नीचे लेट्रीन बनी हुई है, तथा कमरे के बाहर पूर्वजो का पूजा घर बना हुआ है, उपरोक्त मकान मे स्थित हिस्सा प्रार्थी के कब्जे व अधिकार में आया प्रार्थी ने अपने खर्चे से समय समय पर अपने हिस्से की मरम्मत करवायी रंग रोंगन कराया गया तथा उक्त मकान मे नल व बिजली कनेक्शन प्रार्थी के पिता के नाम से आता है, उक्त प्रकार से अपने हिस्से के प्रति समस्त अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है, तथा प्रार्थी सभी सुविधाओ को सुखाधिकार के रूप में उपयोग करता रहा। प्रार्थी के चार पुत्र प्रमोद, प्रदीप, धर्मेन्द्र ,राजू, दो पुत्री

उपखण्ड अधिकारी

चंद्रकांता, प्रेमकांता प्रतिपक्षी कम 1 कंचन, प्रमोद की पत्नी व उसका आयुष पुत्र है, प्रमोद के जीवनकाल मे प्रतिपक्षी कम 1 का व्यवहार ठीक नही रहा बात बात में झगडा करती, गाली गलोच कर अपमानित करती, प्रमोद के साथ अमानवीय व्यवहार करती, नगद रूपयो की मांग करती रूपया नही देने पर उसे झूठे मुकदमे मे फसाने की धमकी देती प्रतिपक्षी कम 1 कंचन के व्यवहार से प्रमोद काफी परेशान व्यथित रहा एवं मानसिंक अवसाद में रहने के कारण मजबूरन दिनांक 20.4.2022 को प्रमोद ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली गयी। प्रतिपक्षी कम 1 के निवास योग्य परिसर नही होने से सहानुभूति पूर्वक प्रतिपक्षी कम 1 मकान मे स्थित प्रथम तल पर निर्मित एक कमरा निवास हेतु प्रतिपक्षी कम 1 को दे दिया गया समय समय पर प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण की आर्थिक मदद भी की गयी किंतु पुत्र प्रमोद के मरने के बाद पूर्व से भी ज्यादा परेशान करना प्रारंभ कर दिया मिथ्या आरोप लगाकर अपमानित करती, वृद्वावस्था का भी कोई ख्याल नही रखती अपने परिचित व्यक्तियो को घर पर बुला लेती ओर प्रार्थी को नाजायज रूप से प्रताडित करती प्रार्थी परेशान होकर मजबूरन दुकान व कमरो के ताला लगाकर केशवपुरा कोटा निवास करने लगा तथा प्रार्थी की गैरहाजरी का फायदा उठाते हुए प्रार्थी के दुकान व कमरे का ताला भी प्रतिपक्षीगण ने तोड दिया। प्रतिपक्षी करम 1 व 2 दुसरो के बहकावे में आकर स्वयं को लाभान्वित करने के आशय से प्रार्थी के हक अधिकारो के विपरीत कार्य करना आरंभ कर दिया प्रतिपक्षीगण योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थी को परेशान करने की गरज से अपने परिचित व्यक्तियो को उक्त मकान पर बुला लेंती तेज आवाज में बातचीत करती, प्रार्थी के आने जाने मे रूकावट उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया तथा प्रार्थी के कमरे व दुकान पर भी प्रतिपक्षी कम 1 व 2 ने कब्जा कर लिया है। तथा प्रतिपक्षी कम 1 ने नयागांव कोटा अपना स्वयं का मकान बना लिया है, और प्रतिपक्षी कम 1 उक्त मकान में स्थित कमरे व दुकान को अपना बताकर बेचान करने पर आमादा है जबकि उक्त मकान से प्रतिपक्षी कम 1 का कोई सरोकार नही है, उसको कब्जा देने व हस्तांतरण करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिपक्षी कम 1 व 2 प्रार्थी से लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है, प्रार्थी प्रतिपक्षीगण का विरोध करने मे सक्षम नही हे, प्रतिपक्षीगण इसी का फायदा उठाते हुए प्रार्थी उक्त मकान से वंचित करने के आशय से प्रतिपक्षीगण उक्त मकान को अपना बताकर बेचान करने पर आमादा हे, इस बाबत प्रतिपक्षीगण ने प्रोपर्टी डीलर व मकान खरीदारो से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया है, प्रतिपक्षी प्रार्थी की बिना सहमति बिना इजाजत के उक्त मकान को बेचान की सूचना प्रार्थी को प्राप्त होने पर प्रार्थी दिनांक 22.5.2024 उक्त मकान की सार संभाल करने गया तो प्रार्थी को मकान मे प्रवेश नही करने दिया प्रार्थी के कमरे व दुकान में प्रतिपक्षीगण ने अपना ताला लगा दिया तथा प्रतिपक्षीगण उक्त मकान को अपना बताकर बेचान करने का पूर्ण प्रयास कर रहे है, तथा खरीदार को मकान का कब्जा सुपुर्द करने पर भी आमादा है, प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण के उक्त गैरकानून कृत्य की शिकायत पुलिस थाना मकबरा कोटा एवं पुलिस अधीक्षक शहर कोटा को पेश की गयी पृथक से हिदायती नोटिस दिनांक 25.5.2024 को प्रतिपक्षीगण के पते पर प्रेषित कराया गया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी कम 1 व 2 के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान 21/297 वाकै मंशापूर्ण गणेश मंदिर पाटनपोल कोटा से प्रार्थी को आने जाने मे रूकावट उत्पन्न नही करे, तथा प्रतिपक्षीगण उक्त मकान परिसर को अपना बताकर हस्तांतरण अथवा अन्यत्र बेचान नही करे तथा किसी दीगर व्यक्ति को कमरे का कब्जा भी सुपुर्द नही करे। प्रार्थी को किसी प्रकार से डराये धमकाये नही तथा प्रतिपक्षी कम 1 व 2 से कमरा खाली कराया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी द्वारा केवल प्रतिपक्षी सं. 1 व 2 के विरूद्ध अनुतोष मांगा गया है जबकि प्रार्थी के 3 अन्य पुत्र प्रदीप, धमेन्द्र, राजू एवं 2 पुत्रिया चन्द्र कान्ता व प्रेम कान्ता के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है और ना उनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्यांण अधिनियम, 2007 अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का अन्तोष प्रतिपक्षीगण से मांगने का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने अनुतोष में अपने कल्याण व भरण पोषण से सम्बन्धित अनुतोष भी नहीं मांगा गया है। प्रार्थी द्वारा अनुतोष मात्र सम्पत्ति से बेदखली का है जो कि माननीय न्यायालय की अधिकारिता के अन्तर्गत नहीं आता है, यदि प्रार्थी को प्रतिपक्षीगणों से उपरोक्त अकिंत सम्पत्ति से बेदखल करना है तो उसके लिए सक्षम सिविल न्यायालय में नियमित वाद पेश करे। अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। प्रतिपक्षी सं. 1 व 2 के जयपुर में निवास करते है, उनका कोटा जिले में कोई रिश्तेदार अथवा परिचित व्यक्ति भी नही रहता है, जिससे वैसे भी प्रार्थी के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा कारित करना संभव नहीं है । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी सं. 1 एकल महिला को हैरान, तंग परेशान व प्रताड़ित करने के आशय से झूठे व मनगंडत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिपक्षी सं. 1 बाद शादी के 30 वर्षो से अपने हिस्से की सम्पत्ति को उपयोग तथा उपभोग करती चली आ रही है। प्रतिपक्षी के हिस्से मे 2 कमरे व 1 दुकान आया है जिसको कि प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी व उसके पति को कब्जा सुपूर्द कर दिया गया था जो कि पैतृक सम्पत्ति है। प्रतिपक्षी सं. 1 एकल महिला के रूप में अपने पिता पर आश्रित है तथा आमदनी का कोई अन्य जरिया नहीं जबकि प्रार्थी के पास पर्याप्त मात्रा में आय के स्रोत है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी देवीलाल द्वारा ही कंचन देवी को तंग, हैरान व परेशान करने हेतु यह दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी के पिता स्व. गणेशलाल पुत्र मांगीलाल के कब्जे स्वामित्व का तीन मंजिला मकान वाकै मंशापूर्ण गणेश मंदिर के पास, बृजराजपुरा, पाटनपोल, कोटा पर स्थित जिस मकान का वर्णन किया गया है, वह संपत्ति पैतृक थी तथा इसमें उनके पुत्र प्रमोद सिंह का भी हिस्सा था जो कि प्रारंभ से ही प्रमोद सिंह के कब्जे व आधिपत्य में रहा है। पैतृक संपत्ति के हिस्से पर कोई किसी प्रकार की वसीयत प्रभाव नहीं रखती है। प्रतिपक्षी संख्या 1 कंचन देवी और उसके पति प्रमोद सिंह के कभी भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा ही नहीं होता था, बल्कि वे दोनों तो काफी प्रेम से रहते थे जबकि प्रार्थी देवलाल के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 कंचन देवी और उसके पति प्रमोद सिंह को प्रताडित किया जाता था जिसके कारण ही प्रमोद सिंह को दिनांक 21.04.2022 को अपनी जीवनलीला समाप्त करली, इसके लिए प्रार्थी देवलाल स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अप्रार्थी/प्रतिपक्षीगण कंचन देवी व उसका बेटा आयुष अपने पैतृक संपत्ति के मकान के हिस्से में ही रहते थे लेकिन देवलाल का व्यवहार उनके प्रति काफी अपमानजनक एवं महिला को प्रताडित करने वाला रहा है। अप्रार्थी/प्रतिपक्षी कंचन देवी की शादी 1994 में कोटा में हुई लेकिन जब वह अपने ससुराल कोटा रहने को आयी तो उसके ससुर देवीलाल ने उसे 2 वर्ष तक तो अपने साथ मकान में रखा फिर अप्रार्थी/प्रतिपक्षी कंचन देवी व उसके पति प्रमोद सिंह को मकान से बाहर निकाल किराए के मकान में रहने को मजबूर कर दिया। दोनों पति–पत्नी 10 वर्षों तक किराए के मकान में रहे परंतु पैतृक संपत्ति के मकान के हिस्से में अपना सामान और कमरे का ताला लगाकर कब्जा बरकरार रहा। कंचन देवी का ससुर देवलाल केशवपूरा में अपने बहू के साथ

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रहता है। पाटनपोल में स्थित पैतृक मकान देवलाल ने किराए पर किसी को दे रखा था लेकिन बाद में मकान के खाली होने पर प्रतिपक्षी संख्या 1 कंचन देवी और उसके पति प्रमोद सिंह दोनों एक पुत्र को लेकर इस मकान में रह रहे थे लेकिन यहां से उन्हें निकाल भगाने की शुरू से ही देवलाल द्वारा कोशिश की जाती रही है, पड़ोसी रिश्तेदारों को कहकर उन्हें परेशान करवाया जाता रहा है, 200 वर्ष पुराना मकान खंडहर हो चुका, देवलाल के परिवार के सदस्य आए दिन अप्रार्थी प्रतिपक्षी कंचन देवी को ताने मारते थे तथा इससे उसका उस मकान में रहना व जीना मश्किल कर दिया गया था। कंचन देवी के ससुर देवलाल द्वारा गलत तथ्य बताकर गलत तरह से प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध यह दावा पेश किया गया है, अप्रार्थिया का उसके ससुर देवीलाल के प्रति कोई विधिक दायित्व नहीं बनता है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का साला जितेन्द्र सिंह अवैध शराब का कारोबार करता है जिसे 2017 में गुंडा एक्ट के तहत तड़ीपार भी किया गया था, प्रार्थी देवीलाल अब भी अपने साले के साथ मिलकर इस अवैध शराब का कारोबार कंचन देवी के हिस्से में आयी जगह पर करना चाहता है जिससे उसने साशय यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। दिनांक 29.08.2001 को देवीलाल द्वारा कंचन देवी से हिंसा नहीं करने बाबत एक लिखित में वादा भी किया था। कंचन देवी द्वारा 12.04.2024 को पुलिस महानिरीक्षक रेंज, कोटा को देवीलाल और उसके परिवारवालों से अपनी सुरक्षा बाबत एक लिखित में प्रार्थना पत्र भी प्रेषित किया गया था। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वास्तविकता में प्रार्थी देवीलाल द्वारा ही कंचन देवी को तंग, हैरान व परेशान करने हेतू यह दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उसे कहीं पर भी भरण पोषण की मांग नहीं की गई है बल्कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान संख्या 21/237 वाके मंशापूर्ण गणेश जी मंदिर के पास, पाटनपोल कोटा से प्रार्थी को आने जाने में रुकावट उत्पन्न नहीं करने तथा किसी प्रकार से डराए धमकाएं नहीं जाने व कमरा खाली करने की प्रार्थना की गई है जो कि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपत्तियों सहित प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकोर्ड कर लिया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी हर्ज–खर्चे पर खारिज करने की कृपा करे।

उभय पक्ष की ओर से अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित पाते है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान 21/297 वाकै मंशापूर्ण गणेश मंदिर पाटनपोल कोटा से प्रार्थी को आने जाने मे रूकावट उत्पन्न नही करे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 21/11/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा